<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 861 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांकः — 18 / 11 / 14</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000872014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

छोटू उर्फ गणेश पिता राम पवार उम्र 24 वर्ष, निवासी परसोड़ी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 24.01.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 16.11.2014 को समय शाम 04:00 बजे या उसके लगभग ग्राम परसोड़ी फरियादी के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कमलतीबाई पवार और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को कुल्हाड़ी के बेसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2014 को रात करीब 11 बजे फरियादी के घर में अभियुक्त शराब पीकर आया और उसे मादरचोद छिनाल की गंदी गंदी गालियां दिया। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी के बेसे से मारपीट किया जिससे उसे गर्दन में पीछे तरफ, कमर, पीठ एवं बांये पैर की पिंढली में चोट आयी। अभियुक्त ने उसकी मां रामप्यारी बाई के साथ भी मारपीट किया। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 901/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कमलतीबाई पवार और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को कुल्हाड़ी के बेसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

- 5 कमलतीबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय मारदचोद, मईया की चूत की गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। इस संबंध में रामप्यारी (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त शराब पीकर उसके घर में घुस गया था और गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।
- 6 साक्षी / फरियादी कमलतीबाई (अ.सा.—1) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र कोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरूद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरूद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय

है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 8 कमलतीबाई (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने कुल्हाड़ी के पीछे के हिस्से से उसकी कमर पर मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। उसका मेडिकल मुलाहिजा भी हुआ था। रामप्यारी (अ. सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ झूमा झटकी की थी।
- 9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—5) ने दिनांक 28.10.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत कमलती का परीक्षण किये जाने पर आहत के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान न होना बताते हुए आहत को गर्दन एवं दाहिनी जांघ पर दर्द होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—6) को प्रमाणित किया है।
- 10 बिसनसिंह (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 28. 10.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 201/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 29.10.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) एवं दिनांक 05.11.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—7) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घ ाटना का समर्थन नहीं किया है। घटना की रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से लेख करायी गयी है जो अभियोजन कथा को संदेहास्पद कर देती है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी गोलू पवार (अ.सा. -2) एवं विनोद सावनेर (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं

किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है।

- 13 कमलतीबाई (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को जब वह घर पर नहीं थी तब अभियुक्त के घर के कवेलू तोड़ दिया था और जब वह वापस आयी तो अभियुक्त अपने घर के अंदर चला गया था लेकिन बाद में कुल्हाड़ी लेकर आया तब उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इसी साक्षी ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त के दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गया और उसका मंगलसूत्र तथा कान के टाप्स छीन लिये और कुल्हाड़ी के पीछे के हिस्से से कमर में मारा जिससे उसे चोट आयी। इसी साक्षी ने आगे यह बताया है कि घटना के समय उसकी मां रामप्यरी और बहन दुर्गा भी थी। रामप्यारी (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर लेटी हुई थी तभी अभियुक्त शराब पीकर घर के अंदर घुस गया और उसके साथ झूमा झटकी किया जिसके बाद वह बेहोश हो गयी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि जब उसकी बेटी कमलतीबाई (अ.सा.—1) बीच बचाव करने आयी थी तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी।
- 14 कमलतीबाई (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में यह बताया है कि अभियुक्त ने कुल्हाड़ी के बेसा से उसकी मारपीट की थी। पैरा क. 06 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि घटना उसकी मां रामप्यारी एवं बहन दुर्गा ने देखी थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त छोटू से पुरानी रंजिश के कारण उसने झूठी शिकायत की है।
- 15 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त ने फरियादी कमलतीबाई को कुल्हाड़ी के बेसा से मारपीट किया जिससे उसकी गर्दन के पीछे तरफ, कमर, पीठ एवं बांये पैर की पिंढली में चोट आयी थी तथा घटना विनोद एवं गोलू के द्वारा देखी गयी। जबिक फरियादी ने न्यायालयीन परीक्षण में घटना उसकी मां रामप्यारी एवं बहन दुर्गा के द्वारा देखा जाना बताया है तथा फरियादी के चिकित्सकीय परीक्षण में मात्र गर्दन एवं दांहिनी जांघ में दर्द होना पाया गया था। इस प्रकार साक्षी के बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं होती है। जहां तक अधिवक्ता के द्वारा विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने प्रश्न है वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि घटना दिनांक 19.10.2014 की रात्रि 11 बजे की है तथा रिपोर्ट दिनांक 28.10.2014 को लगभग शाम के 4 बजे लेख करायी गयी है। जबिक घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र

आठ किलोमीटर है। अतः ऐसी स्थिति में जबिक फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक से लगभग 09 दिन बाद लेख करायी गयी है। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित भी नहीं है। फरियादी कमलतीबाई (अ.सा. —1) और उसकी मां रामप्यारी (अ.सा.—4) के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है तथा रामप्यारी (अ.सा.—4) के द्वारा उसकी बेटी / फरियादी कमलतीबाई की अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने से इनकार भी किया गया है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को कुल्हाड़ी के बेसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कमलतीबाई पवार और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को कुल्हाड़ी के बेसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त छोटू उर्फ गणेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)